कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/2853 /01–**752**–2017/2018 दिनांक: 17 जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रबंधक/निदेशक,
हेरिटेज चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
भदवर, वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा **अनुभाग–1**, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– सम्ब0 836/सत्तर–1–2014–15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975/79–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 व 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के कम में सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **16.12.2017** की संस्तुति के आधार पर **महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये गये पटटाविलेख एवं अन्य के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं विधिक राय हेतु प्रेषित पत्र के अधीन** कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में हेरिटेज **चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भदवर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत चिकित्सा विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकम में प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अनुमोदन अवशेष होने, प्राचार्य एवं संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का अनुमोदन एवं अनुमोदित प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान न किये जाने तथा अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण** न होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के **पत्रांक कु0स0–2 बी स0अ0/2192/01–501–2016/2016 दिनांक** 15.10.2016 द्वारा सत्र 2015–16 हेतु प्रदत्त कार्योत्तर सम्बद्धता के कम में **सत्र 2016–17 एवं 2017–18** हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन कार्योत्तर सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. संस्था द्वारा **तीन माह के अन्दर महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अनुमोदन होने, सम्बंधित** पाठ्यक्रम में **विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्रवक्ताओं का चयन/कार्यभार ग्रहण कराकर सीधे बैंक** के माध्यम से वेतन **भुगतान किये जाने प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।**
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय के पक्ष में विधितः भूमि पट्टे पर किये जाने का प्रमाण तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने पर ही यह पूर्वानुमति वैध मानी जायेगी अन्यथा की स्थिति में यह स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था द्वारा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक U-12012/670/2015-ME.I दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा सत्र 2016–17 एवं पत्रांक U-12012/127/2016-ME.I [3084749]** दिनांक 31 **मई, 2017 द्वारा सत्र 2017–18** में वर्णित शर्तो के साथ ही सत्र 2015–16 हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक **कु0स0–2 बी स0अ0/2192/01–501–2016/2016 दिनांक** 15.10.2016 द्वारा सत्र 2015–16 हेतु **निर्गत सशर्त सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तो का पालन किया** जायेगा।

...2

4. यह अनुमति विश्वविद्यालय के **पत्रांक कु0स0–2 बी स0अ0/13044/01–744– 2017/2018 दिनांक 11.01.2017** द्वारा प्रेषित पत्र के कम में प्राप्त दिशा निर्देश के अधीन होगी। हे0चि0वि0स0—

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–11
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, पाकेट–14, सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली–110077
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
8. परीक्षा नियंत्रक।

कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/12377/ 01–744–2017/2017 दिनांक : 16 अगस्त, 2017

सेवा में,

चेयरमैन,
हेरिटेज चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
भदवर, वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05.06.2017 के साथ संलग्न प्रस्ताव एवं उसके कम में प्रस्तुत पत्र दिनांक 27.06.2017 के संदर्भ में सूच्य है कि महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक कु0स0–2 बी स0अ0/2192/01–501–2016/2016 दिनांक 15.10.2016 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 हेतु सशर्त कार्योत्तर सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसका अनुपालन महाविद्यालय द्वारा नहीं किया गया साथ ही सत्र 2016–17 हेतु एम0सी0आई0 के पत्रांक MCI-37(I)(RI-96)/2015-Med/108858 दिनांक 14.05.2016 के कम में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक U. 12012/670/2015-ME.I दिनांक 30 मई 2016 द्वारा सत्र 2016–17 हेतु प्रदान की गयी मान्यता के साथ विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रस्ताव एक वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया।

अतः उपर्युक्त के कम मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में कृपया पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि किन परिस्थितियों में आप द्वारा शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा सत्र 2016–17 की सम्बद्धता की कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित नहीं की गयी? उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्यों न संदर्भित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय?

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–
1– वैय0 सहायक–कुलपति, मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–11
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव

(191)